सत्यमेव जयते

कुलाधिपति
Chancellor

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि ....विश्वविद्यालय,
....................................University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.47(3)आरबी/2021/5385
दिनांक : 07 अक्टूबर, 2025

आदेश

राजभवन के आदेश क्रमांक 5099–5100 दिनांक 29.09.2022 के द्वारा डॉ. बलराज सिंह को कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का कुलगुरू नियुक्त किया गया था।

डॉ. बलराज सिंह, कुलगुरू, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा इस सचिवालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 543 दिनांक 01.02.2022 (कुलगुरू द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम तीन माह में कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लिये जाने के संबंध में) का उल्लंघन करते हुए विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम में उल्लेखित अपने अधिकारों एवं क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्मिकों की सेवा बर्खास्तगी व स्थानान्तरण करने तथा कनिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित कर वरिष्ठ अधिकारियों की अनदेखी कर विश्वविद्यालय का माहौल एवं छवि धूमिल करने का कृत्य किया गया है तथा लगातार जारी है। जो कि विश्वविद्यालय हित में नहीं है।

इस सचिवालय के आदेश क्रमांक 5258–59 दिनांक 25.09.2025 के माध्यम से कुलगुरू के विरूद्ध प्राप्त विभिन्न गंभीर प्रकृति की शिकायतों के संबंध में जांच हेतु एक जांच समिति का गठन किया गया है।

अतः मैं, हरिभाऊ बागड़े, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2013 (यथा संशोधित) की धारा 25क की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर एवं जांच कार्य में बाधा उत्पन्न न हो एवं विश्वविद्यालय हित में डॉ. बलराज सिंह, कुलगुरू, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को कुलगुरू पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ।

हस्ता0/–

(हरिभाऊ बागडे)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.47(3)आरबी / 2021 / 5386 दिनांक : 07 अक्टूबर, 2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. कुलगुरू, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
5. कुलसचिव, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
6. रक्षित पत्रावली।

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान